निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

16 माघ 1936 (श0)

(सं0 पटना 242) पटना, वृहस्पतिवार, 5 फरवरी 2015

जल संसाधन विभाग

————————

अधिसूचना

22 जनवरी 2015

सं0 22 / नि0सि0(पट0)–3–04 / 2012 / 224––श्री मनोज कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, सोन नहर प्रमंडल, खगौल जब उक्त प्रमंडल में पदस्थापित थे तब उनके विरूद्ध श्री राम जन्म शर्मा, पूर्व स0वि0स0 विक्रम एवं श्री जानकी नोनिया, ग्राम–फरीदपुरा, नौबतपुर से प्राप्त परिवाद की जॉच विभागीय उड़नदस्ता अंचल से करायी गयी। उड़नदस्ता अंचल से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन की समीक्षा विभाग द्वारा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि उड़नदस्ता द्वारा श्री कुमार को उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना करने तथा प्रमंडल में वृक्ष पंजी का समुचित संधारण किये बगैर बार–बार पेड़ों की नीलामी किये जाने के लिए दोषी पाया है। समीक्षोपरान्त उड़नदस्ता अंचल से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए विभागीय पत्रांक–1197 दिनांक 30.09.13 द्वारा प्राप्त परिवाद तथा उड़नदस्ता अंचल से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न करते हुए श्री कुमार से स्पष्टीकरण पूछा गया। श्री कुमार से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षा में पाया गया कि श्री मनोज कुमार द्वारा अपने स्पष्टीकरण में मुख्य रूप से कहा गया है कि अधीक्षण अभियंता, गंगा सोन बाढ़ सुरक्षा अंचल, पटना के निदेशानुसार ही दिनांक 07.02.12 को होने वाली नीलामी की सूचना समाचार–पत्र में प्रकाशित होने के उपरान्त नीलामी की सारी प्रक्रिया अपनाई गई। कर्मचारियों की संख्या बल कम रहने के कारण वृक्षों का उद्यतन पंजी कार्य कुप्रभावित रहा। जबकि समीक्षा में निम्न तथ्य पाये गये :–

(क) सोन नहर पर पुराने वृक्षों की नीलामी कार्यपालक अभियंता की सहमति से स्वयं सहायक अभियंता द्वारा एक दैनिक समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित कर दी गई जबकि उस नीलामी को रद्द करने के लिए अधीक्षण अभियंता द्वारा दिये गये आदेश को कार्यपालक अभियंता श्री कुमार ने नहीं माना।

(ख) किसी भी परिसम्पत्ति के नीलामी के पूर्व अधीक्षण अभियंता के स्तर से नीलामी की सूची का अनुमोदन आवश्यक होता है परन्तु इस मामले में कोई अनुमोदन भी प्राप्त नहीं किया गया।

(ग) वर्ष 2010 से ही इस प्रमंडल के अधीन वृक्षों के नीलामी की साक्ष्य उड़दस्ता को प्राप्त हुआ है परन्तु इस संबंध में कोई भी वृक्ष पंजी श्री कुमार, कार्यपालक अभियंता अथवा उनके कार्यालय द्वारा संधारित नहीं की गई जिससे नीलामी की पूर्ण स्थिति और वृक्ष परिसम्पत्तियों का विवरण स्पष्ट हो सके।

वर्णित तथ्यों के आलोक में समीक्षोपरान्त सरकार द्वारा उक्त आरोपों के लिए श्री कुमार को दोषी पाया गया। प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय अधिसूचना संख्या–1378 दिनांक 18.09.14 द्वारा श्री कुमार को निम्न दंड संसूचित किया गया :–

1. निन्दन वर्ष 2013–14

2. एक वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

श्री कुमार दिनांक 31.01.2015 को सेवा निवृत्त हो रहे हैं फलस्वरूप उक्त वर्णित दंड सं0–2 लागू नहीं हो पायेगी। तत्पश्चात मामले की पुर्नसमीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षोपरान्त उक्त दण्ड सं0–2 के बदले ''कालमान वेतन के एक वेतन प्रक्रम के नीचे एक वर्ष के लिए अवनति'' का दण्ड देने का निर्णय लिया गया।

अतः श्री मनोज कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, सोन नहर प्रमंडल, खगौल सम्प्रति तकनीकी सलाहकार, तिरहुत नहर अंचल, रतवार, मुजफ्फरपुर को विभागीय अधिसूचना सं0–1378 दिनांक 18.09.14 द्वारा संसूचित दंड सं0–2 के बदले निम्न दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है –

1. कालमान वेतन के एक वेतन प्रक्रम के नीचे एक वर्ष के लिए अवनति।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सतीश चन्द्र झा,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 242-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in